संख्या-281/2020/782/22-2-2020-17(965)/19

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2020***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र निवासी जिला-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17970/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 22.07.2020, दिनांक 23.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र, जो-ग्राम कुर्सी, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। बंदी का अपराध 22 वर्षीय युवक के अपहरण से संबंधित है। दिनांक 04.07.2002 को अभियुक्त द्वारा विशाल से फिरौती की रकम दो करोड़ देने की मांग वाला पत्र वादी को भेजा गया, जिसे वादी द्वारा दिनांक 04.07.2002 को ही पुलिस को दिया गया। पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना-कविनगर क्षेत्र में स्थित मकान से विशाल तथा अभियुक्त रामवीर को मय फिरौती की धनराशि गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय अभियुक्त विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र शेष दो सहअभियुक्तों सहित फरार हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-प्रथम, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा बंदी की अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध किया जाना उचित होने तथा बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की गम्भीर प्रकृति तथा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-8326/2019 विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2020 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र (बन्दी संख्या-1749/2006) पुत्र श्री ताराचन्द्र निवासी जिला-गाजियाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-281/2020/782(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in